उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 08/2019

अभिराम महतो बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
20-09-2019	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–57/2012 महेन्द्रा 265DI ट्रैक्टर अनिबंधित के स्वामी में दिनांक–13.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध उक्त अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक–06.03.2019 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। इनका यह भी कहना है कि प्राधिकृत्त पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा ट्रैक्टर नं० WB55-7151 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजर अन्दाज करते हुए बरलंगा थाना काण्ड संख्या– 09/2012 दिनांक 31.03.2012, राज्यसात वाद संख्या–57/2012 राज्य बनाम् महिन्द्रा 265DJ ट्रैक्टर अनिबंधित के स्वामी में दिनांक–23.01.2016 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के उल्लंधन के आरोप में धारा 52(iii) के तहत् राज्यसात किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। इन्होनें निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया हैं। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् आदेश पारित किया गया है। अधिसूचित वन क्षेत्र अर्न्तगत जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला को जप्त किया गया है तथा बरलंगा थाना में प्राथमिकी काण्ड संख्या–09/2012, दिनांक– 31.03.2012 दर्ज है। पुलिस विभाग के केस डायरी के साक्ष्य एवं वादी द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र से उत्खनित किया गया है। तत्पश्चात् जप्त वाहन एवं उस पर लदा 3.5 टन स्टीम कोयला को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है। इन्होंने अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–	

(1) जप्त वाहन में कोयला लदा हुआ पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा वाहन में लदा कोयला से सम्बन्धित कोई कागजात निम्न न्यायालय तथा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे वाहन में लदा कोयला संदिग्ध प्रतीत होता है।

(2) बरलंगा थाना प्राथमिकी संख्या–09/2012, दिनांक–31.03.2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि रजरप्पा थाना अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं सी०सी०एल० के बन्द पड़े खदान से कुछ लोग कोयले का अवैध खनन कराकर एक महेन्द्रा ट्रैक्टर में लोड कर बिक्री के नियत से आ रहे थे, जिसे शस्त्र बल के द्वारा रोके जाने पर चालक एवं उसपर सवार व्यक्ति भाग निकले, तत्पश्चात पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन में लदा 3.5 टन स्टीम कोयला को जप्त किया गया है।

(3) पुलिस विभाग से संबंधित केस डायरी एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रतिवेदित किया गया है कि जप्त वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र से उत्खनन किया गया है।

(4) निम्न न्यायालय द्वारा जप्त वाहन में लदा कोयला को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा 52(iii) तहत् राज्यसात किया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पुलीस विभाग से संबंधित केस डायरी तथा बरलंगा थाना द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र की विवरणी का उल्लेख कही नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाहन में जप्त कोयला अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र अर्न्तगत उत्खनन किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं कागजातों के अवलोकन में जप्त सामग्री के वन भूमि क्षेत्रान्तर्गत होने से सम्बन्धित साक्ष्य नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार के अभाव में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

272/लिपि 23/03/2020

लेखापित एवं संशोधित

20/09/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।